राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4199/2024

धीरेन्द्र राठौड़

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अधीक्षक अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड़।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झालरापाटन, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.12.2024
आदेश की दिनांक : 03.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री नवीन धुआ, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी जब सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था, तब आदेश दिनांक 16.07.2024 द्वारा अपीलार्थी को जिला परिषद झालावाड़ में अपनी उपस्थिति देने के लिए निर्देशित किया गया था, क्योंकि उसे जोधराज नागर नामक व्यक्ति द्वारा कार्य आवंटित किया गया था, जो 31.7.2024 को सेवानिवृत्त होने वाला था। उपरोक्त आदेश कार्य व्यवस्था के नाम पर पारित किया गया और इसके द्वारा अपीलार्थी को जिला स्थापना समिति या पंचायती राज विभाग से किसी पूर्व अनुमोदन के बिना पंचायत समिति से जिला परिषद में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि पंचायती राज विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 21.4.2015 और 28.4.2017 के अनुसार आवश्यक है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध के दौरान प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को उस पद पर अपनी पसंद के व्यक्ति को समायोजित करने के लिए कार्य व्यवस्था के नाम पर स्थानांतरित कर दिया, जहां अपीलार्थी कार्यरत था। स्थानांतरण आदेश दिनांक 16.7.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश 23.7.2024 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 एवं 334 का उल्लंघन कर पारित किया गया है। विवादित आदेश दिनांक 16.7.2024 एवं 23.7.2024 पारित किया गया है, जो कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 का उल्लंघन है क्योंकि यह आदेश अपीलार्थी के अनुरोध के बिना पारित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अपीलार्थी को कोई टीए/डीए भत्ता नहीं

दिया गया है। (अनुलग्नक–1 व 2) अपीलार्थी को वर्ष 2022 में पंचायत समिति झालरापाटन में सहायक विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था, जहाँ उन्होंने दिनांक 23.07.2024 तक सेवा की, और उसके बाद अपीलार्थी ने जिला परिषद झालावाड़ में कार्यभार ग्रहण किया और तब से प्रत्यर्थी विभाग की पूर्ण संतुष्टि के साथ पद पर कार्य कर रहे हैं। अपीलार्थी को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पद पर नियुक्त किया गया था, जो पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने उच्च अधिकारी की अनुमति के बिना स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए, अपीलार्थी ने कार्य व्यवस्था के नाम पर पंचायत समिति से जिला परिषद में स्थानांतरण कर लिया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी को कार्य व्यवस्था के नाम पर पंचायत समिति से जिला परिषद में स्थानांतरित किया गया। पंचायती राज विभाग ने परिपत्र जारी कर अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देश दिया था कि विभाग की स्वीकृति के बिना किसी कर्मचारी का निलंबन, पदस्थापन, स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकती, परन्तु इसके बावजूद भी जिला प्राधिकारी ने कार्य व्यवस्था के नाम पर बिना किसी स्वीकृति के अपीलार्थी को जिला परिषद में पदस्थापना दे दी है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग ने इस बात पर विचार किए बिना कि दिनांक 16.7.2024 एवं 23.7.2024 के आदेश प्रतिबंध अवधि के दौरान पारित किए गए हैं, जो कि अवैधानिक है, उनका क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता तथा स्थानांतरण आदेश के अनुपालन हेतु आगे आदेश पारित कर अवैधानिक आदेश को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। समय बीत जाने के कारण अवैधानिक आदेश को वैधानिक आदेश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। (अनुलग्नक–4) स्थानांतरण आदेश दिनांक 16.07.2024 और कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23. 07.2024, राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 का उल्लंघन करके पारित किया गया है क्योंकि स्थानांतरण आदेश अपीलार्थी के किसी अनुरोध के बिना पारित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अपीलकर्ता को टीए/डीए भत्ता नहीं दिया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि दिनांक 16.07.2024 के आरोपित स्थानांतरण आदेश और दिनांक 23.07.2024 के राहत आदेश (अनुलग्नक–1 और 2) को अपास्त फरमाया जावे एंव अपीलार्थी को सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति झालरापाटन में पदस्थापित किया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य